

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक -एफ.15(7)डी.एम.ई./एके./2018/ 1287

दिनांक : 20/06/19

आदेश

राज्य मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 34/2017 दिनांक 24.02.2017 के अनुसरण में शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश संख्या प. 18(2) M.E./ ग्रुप -1 /2015 दिनांक 18.04.2017 के द्वारा राज्य सरकार पर भविष्य में कॉलेज व अस्पताल के संचालन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े इसके लिए पोसायटी को अन्य निजी कॉलेजों की भांति MBBS में प्रवेश पाने वाले 35% छात्रों से राज्यस्तरीय शुल्क निर्धारित कमेटी द्वारा ट्यूशन फीस (राशि 7.5 लाख रुपये प्रति वर्ष) वसूल करने की अनुमति दी गई थी तथा 15% छात्रों से 100,000 अमेरिकन डॉलर या उसके समतुल्य राशि रुपये में एक मुश्त ट्यूशन फीस वसूल करने की अनुमति दी गई शेष 50% छात्रों के लिए ट्यूशन फीस 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया उक्त फीस में प्रतिवर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया उक्त फीस में प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी किए जाने का आदेश दिया गया था।

अतः उक्त आदेश के अनुसरण में Govt.Seats पर 5% की बढ़ोतरी कर 50,000/-रुपये से 52,500/-रुपये एवं NRI Seats के लिए 1,00,000(अमेरिकन डॉलर) से 1,05,000 (अमेरिकन डॉलर या उसके समतुल्य राशि रूपयों में) ट्यूशन फीस निर्धारित की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किए जाते हैं।
यह बढ़ोतरी शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रवेश लेने वाले छात्रों पर प्रभावी होगी।

अति. निदेशक (प्रशा.),
एवं पदेन शासन उप सचिव,

क्रमांक -एफ.15(7)डी.एम.ई./एके./2018/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना/बजट/विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, (ग्रुप-1) जयपुर।
5. अति निदेशक (प्रशासन/शैक्षणिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, नवीन मेडिकल कॉलेज, समस्त।
7. वित्तीय सलाहकार निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी राजमेस।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, (एके.)
राजमेस